

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 236  
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: शून्य बजट प्राकृतिक खेती**

**\*236. श्री नरेश गणपत म्हस्के:**

**श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कितने किसान और कितने हेक्टेयर भूमि कवर की गई है तथा इसे अपनाने वाले किसानों की आदान लागत में आई कमी, उनकी शुद्ध आय में हुई वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य में हुए सुधार से संबंधित तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;
- (ख) इस मॉडल के व्यापक प्रसार के लिए राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज संगठनों के साथ की गई साझेदारियों और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) किसानों, स्वयं सहायता समूहों और विस्तार कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए शुरू किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मॉड्यूल का ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर आदानों के इस्तेमाल वाली खेती के विकल्प के रूप में राज्यों में उक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार परंपरागत खेती के बजाय जेडबीएनएफ पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**“शून्य बजट प्राकृतिक खेती” के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 236 के भाग (क) से (ड) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।**

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को 2481 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय लागत के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को स्वीकृति प्रदान की है। इस मिशन का उद्देश्य सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि तथा सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने हेतु वैज्ञानिक तरीके अपनाकर कृषि पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना है। यह मिशन सॉइल हेल्थ को बेहतर करने, पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने और किसानों की आदान लागत कम करने पर बल देता है।

इस योजना में 18.75 लाख किसानों को शामिल करते हुए 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टरों के गठन और प्राकृतिक खेती संबंधी आदानों की सुगम उपलब्धता के लिए 10,000 मांग-आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करने का परिकल्पना की गई है। इससे बाहर से खरीदे जाने वाले रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम हो जाएगी। मिशन की प्रगति **अनुबंध-1** में दी गई है। 5.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर) द्वारा 16 राज्यों में 20 स्थानों पर 484 किसानों के खेतों पर किए गए अध्ययन के अनुसार, प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं। इसमें दलहनों के साथ इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों (क्रॉप रेसिड्यू) का उपयोग कर मल्टिंग द्वारा और भूमि संरक्षण फसल (कवर क्रॉप) के माध्यम से उपज में वृद्धि शामिल है। प्राकृतिक खेती के तहत, मिट्टी में ओर्गेनिक कार्बन की मात्रा में 0.25% तक की वृद्धि तथा उत्पादन की आदान लागत में 29% तक की कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर - राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (आईसीएआर-एनएएआरएम) द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्राकृतिक खेती से लागत में कमी और अधिक उत्पाद मूल्य द्वारा किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिली है। 3 राज्यों में प्राकृतिक खेती के तहत प्रतिलाभ लागत 15 से 270 % तक वृद्धि हुई है।

(ख) मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिकों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों (एफएमटी), सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) और सरकारी अधिकारियों को जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण देने, ऑन-फील्ड डेमोस्ट्रेशन करने और किसानों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और तैनात किया जाता है। मिशन के अंतर्गत 3900 से अधिक वैज्ञानिकों, एफएमटी और सरकारी अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 28,000 सीआरपी की पहचान की गई है। आज तक किसानों के प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों में 1,100 प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, मिशन के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों और स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों सहित 806 प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है।

(ग) वैज्ञानिकों, एफएमटी और राज्य/जिला/ब्लॉक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्राकृतिक खेती के 18 केंद्रों की पहचान की गई है। वैज्ञानिक और एफएमटी को 2 दौर का 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य/जिला/ब्लॉक अधिकारी को एक दौर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों, सॉइल हेल्थ प्रबंधन, फसल प्रणाली, पशुधन समेकन, प्राकृतिक खेती वाले फार्म का दौरा आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सीआरपी प्राकृतिक खेती के मॉडल फार्मों पर वैज्ञानिकों और एफएमटी को दो दौर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों और प्राकृतिक खेती के मॉडल फार्मों पर वैज्ञानिकों और एफएमटी को प्रति वर्ष चार बार एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें प्राकृतिक खेती की कार्य पद्धति, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बेहतर बनाने की पद्धतियां जैसे मल्लिंग, फसल क्रॉप रोटेशन, कीट प्रबंधन, फसल चयन आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राकृतिक खेती सिद्धांतों, विभिन्न प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट की तैयारी, भंडारण और मात्रा, कीट और रोग प्रबंधन पद्धतियों, बीआरसी की भूमिका और उत्तरदायित्वों, व्यावसायिक उद्यम विकास आदि पर बीआरसी उद्यमियों को चिह्नित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 2 दौर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) सभी राज्यों के लिए एनएमएनएफ हेतु वार्षिक कार्य योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा फंड उपलब्ध करा दिया गया है।

(ङ) मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक किसान को 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड़ 4000/- रुपए (प्रति किसान 1 एकड़ तक) की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, पशुधन के रखरखाव, मिक्सिंग कंटेनर और भंडारण कंटेनरों की खरीद सहित प्राकृतिक खेती आदानों की तैयारी या जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों से आदानों की खरीद करने के लिए दी जाती है।

## राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत किसानों की संख्या	पंजीकृत किसानों से एकत्रित मिट्टी के नमूने (सैम्पल)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	250	123
2	आंध्र प्रदेश	34102	5130
3	अरुणाचल प्रदेश	4474	4474
4	असम	3750	1802
5	बिहार	35465	5228
6	छत्तीसगढ़	50565	42304
7	दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव	0	0
8	दिल्ली	195	0
9	गोवा	1250	988
10	गुजरात	47905	862
11	हरियाणा	15375	0
12	हिमाचल प्रदेश	61998	26900
13	जम्मू और कश्मीर	19125	17243
14	झारखंड	9200	0
15	कर्नाटक	112665	87447
16	केरल	6090	0
17	लद्दाख	405	78
18	मध्य प्रदेश	152248	9642
19	महाराष्ट्र	201011	9276
20	मणिपुर	4400	1350
21	मेघालय	9875	0
22	मिजोरम	13125	12500
23	नागालैंड	15125	0
24	ओडिशा	52350	12350
25	पुदुचेरी	272	0
26	पंजाब	5079	1550
27	राजस्थान	115000	68234
28	तमिलनाडु	7233	1919
29	तेलंगाना	60446	51049
30	त्रिपुरा	2750	321
31	उत्तर प्रदेश	223293	60820
32	उत्तराखंड	25000	1874
33	पश्चिम बंगाल	0	0
	<b>कुल</b>	<b>1290021</b>	<b>423464</b>